सार-समाचार

'पेटेंट करवाना आज की महत्ती आवश्यकता'

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा जागरूकता मिशन' के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटा की आईपीआर सेल एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) नागपुर के संयुक्त तत्वावधान 'बौद्धिक सम्पदा एवं पेटेंट डिजाईन फाईलिंग' विषय पर हाई ब्रिड मोड पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो.प्रतिमा श्रीवास्तव ने की तथा मुख्य वक्ता आईपीआर विशेषज्ञ कुमार राजू, सहायक नियंत्रक पेटेंट एवं डिजाइन (आरजीएनआईआईपीएम) नागपुर रहे। प्राचार्य प्रो. प्रतिमा श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बौद्धिक जागरूकता की दृष्टि से पेटेंट एवं डिजाईन फाईलिंग आज महत्ती आवश्यकता है। अपने मौलिक विचार और आईडिया व्यक्ति की अपनी पहचान तथा निजी सम्पत्ति होते हैं। इन विचारों का पेटेंट करवाकर लम्बें समय तक रॉयल्टी प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों में बौद्धिक सम्पदा एवं पेटेंट के प्रति जागरूकता के दृष्टि से ऐसे कार्यक्रमों की महत्ती आवश्यकता है। मुख्य वक्ता कुमार राजू ने कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, डिजाइन फाईलिंग, भौगोलिक संकेतों पर आधारित पेटेंट, उद्योग, व्यापार, विज्ञापन, उत्पाद आदि से संबंधित कॉपी राईट्स और डिजाईन फाइलिंग आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति किस प्रकार अपने विचारों को आविष्कार में परिवर्तित कर किस प्रकार पेटेंट एवं डिजाईन फाईलिंग करा सकता है। ये विचार व्यक्ति की आजीविका का साधन भी बन सकते हैं। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आईपीआर सेल प्रभारी प्रो.नीरजा श्रीवास्तव ने किया तथा धन्यवाद प्रो.नीलकमल राठौर ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आईपीआर सेल सदस्य प्रो.सियाराम मीणा, प्रो.नरेश कुमार नायक, प्रो.जितेन्द्र कुमार वर्मा, प्रो. रामलक्षमण सैनी उपस्थित रहे है।

रिप्स के तहत संवीक्षा समिति की बैठक

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की रिप्स-2019, रिप्स-2022 एवं रिप्स-2024 के तहत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एवं मंडी टैक्स में छूट के लिए आवेदन करने वाली 16 इकाइयों से प्राप्त प्रकरणों में पात्रता निर्धारण पर चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने सब्सिडी एवं छूट के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत चर्चा कर नियमानुसार पात्र इकाईयों को विभिन्न परिलाभों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। शेष इकाईयों के संबंध में उद्योग विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिऐं। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र हरिमोहन शर्मा, उपायुक्त राज्य कर विभाग कोटा बृजभान सिंह, मंडी सचिव मनोज मीणा, एसआरएम रीको वीरेन्द्र विजय, मैनेजर आरएफसी सीताराम मीणा सहित उद्योग विभाग के अधिकारी एवं आवेदन करने वाली इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

दोषी को तीन साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। नाबालिग बच्चों का अशलील विडियो बनाने के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में पॉस्को क्रम-2 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह भानावत ने बताया कि फरियादी ने 13 जनवरी 2022 को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मे कहा कि उसकी पुत्री उसके भाई का बच्चा व साले का बच्चा जो नाबालिग है छत पर खेल रहे थे तभी छत पर एक जना आया और मोबाईल में बच्चों को कुछ गंदा दिखाकर वैसे ही करने को कहा, बाद में उसने बच्चों के अशलील विडियो बना लिये। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 67, 67-ए एवं 67-बी पॉस्को एक्ट मे मामला दर्ज किया एवं मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

चम्बल नदी में मिले युवक की शिनाख्त

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी थाना इलाके के चम्बल नदी में सोमवार को युवक का शव मिला था, मृतक युवक की शिनाख्त रंगबाड़ी निवासी गौरव शाक्यवाल (28) के रूप में हुई है। सोमवार को दादाबाड़ी क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में चम्बल नदी में युवक का शव मिला था, सूचना पर पुलिस व नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को चम्बल नदी से बाहर निकाल कर मौके पर शिनाख्त के प्रयास किये, पुलिस ने मृतक के शव को मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया था। दादाबाड़ी थानाधिकारी ने बताया कि मौके पर गौताखोरो को कुछ दस्तावेज मिले जिनके आधार पर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त गौरव शाक्यवाल के रूप में हुई है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनो को सौंप दिया है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मृतक गौरव 31 अक्टुबर से लापता था, मृतक की अगले महीने दिसम्बर माह में शादी होने वाली थी। थानाधिकारी ने बताया कि शुरूआती अनुमान सुसाईड प्रतिक हो रहा है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

प्रतिबंधित ई-सिगरेट सहित दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन गरूड़व्यूह के तहत कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित ई-सिगरेट सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये पुलिस द्वारा ऑपरेशन गुरूडव्यूह अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने मय जाप्ता इलाके में कार्यवाही करत हुए सोगरिया निवासी साजिद खान उर्फ काजी एवं लक्ष्मी विहार निवासी कुमार को प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक सिगरेट सहित गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि प्रतिबंधित ई-सिगरेट के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

193 ग्राम अफीम, एक पिस्टल मय जिंदा कारतूस सहित दो पकड़े

छबड़ा (निसं)। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 193 ग्राम अफीम, एक पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस, एक लाख 500 रूपए नगद व एक बाईक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की हैं।

सीआई राजेष खटाना के अनुसार विशेष ऑपरेशन नशा विनाश एवं ऑपरेशन शस्त्र प्रहार के तहत गणेश फार्म से रीछड़ा की तरफ की जा रही गष्त के दौरान रीछडा गांव से पहले एक बाईक चालक जो कवा की तरफ से आ रहा था। जो पुलिस वाहन को देखकर एकदम से अपनी बाईक को रोड से धुमा कर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी रास्ते की तरफ जाने लगा। संदेह होने पर पीछा कर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने मकानो के सामने बाईक चालक को डिटेन कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम मुकेश जाट (27) पुत्र कोजाराम निवासी मेहरामनगर थाना झवर जिला जोधपुर (ग्रामीण) हाल सांई बिल्डकान क्रेशन बापचा का होना बताया। जिसका आचरण एवं गतिविधियों पर षक होने पर डिटेनशुदा व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पजामे की जेब मे 9.93 ग्राम अफीम पाई जाने पर उक्त अफीम व बाईक को जब्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।

सीआई खटाना के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मुकेश जाट ने पूछताछ में बताया कि यह अफीम उसने रामस्वरुप मीणा निवासी बावडीखेड़ा (ढाबा वाले) से खरीदना स्वीकार किया। इस पर पुलिस को संदेह हुआ कि ढाबे व मकान पर और भी अफीम हो सकती है।

इस पर पुलिस रामस्वरुप मीणा के मकान व ढाबे की तलाशी ले रही थी कि साईड की तरफ से खिड़की में से एक व्यक्ति निकल कर बाहर का गेट खोलकर भागने की आवाज आई। इतने में आवाज आई की खिड़की की तरफ से कोई व्यक्ति बाहर भागा है।

इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भागे हुए व्यक्ति को डिटेन कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम सुरेश नाई (40) पुत्र त्रिलोकचंद निवासी कोहनी थाना कवाई का होना बताया। जिसके हाथ मे एक थैला था। डिटेनशुदा व्यक्ति सुरेश व उसके कब्जे के थैले में कोई अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो थैले में पॉलीथिन की एक सफेद पारदर्शी थैली मे 183 ग्राम अफीम व एक पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस और पांच सौ रुपये के 201 नोट कुल एक लाख पांच सौ रुपए मिले। जिन्हे मौके पर से जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा विधानसभा उपचुनाव की आदर्ष आचार संहिता के तहत थाना स्तर पर एक स्पेशल टीम का गठन कर अवैध फायर आर्म्स की कार्रवाई करते हुए दो प्रकरण दर्ज कर कुल दो देशी कट्टा, एक पिस्टल व चार जिंदा कारतुस जब्त किए व अवैध मादक पदार्थ की कार्रवाई करते हुए कुल तीन प्रकरण दर्ज कर 23.390 किलोग्राम गांजा व 193 ग्राम अफीम जप्त की गई।

अंकित गुप्ता ने 36वीं बार एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। टीम जीवनदाता निरंतर लोगों की सेवा कर रही है और सेवाभावी लोग ही इस अभियान में निरंतर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अनजान की भी मदद पूरी शिद्दत के साथ की जा रही है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि निजी अस्पताल में भर्ती मरीज विजयमाला बैरवा को डेंगू होने पर प्लेटलेट कम हो गई थी, चिकित्सकों ने पति दीनदयाल से एबी पॉजिटिव एसडीपी के लिए कहा, उन्होंने टीम जीवनदाता से संपर्क किया और एसडीपी के लिए गुहार लगाई। पूर्व में एसडीपी के लिए निवेदन कर चुके अंकित गुप्ता को कॉल किया तो वह काफी खुश हुए, उनकी बेटी का भी जन्मदिन था, बेटी हिमीशा दूसरे के जन्मदिन पर अंकित गुप्ता ने 36वीं बार एसडीपी डोनेट की है, वह इससे पूर्व 40 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। संयोगवश मंगलवार को घोषित परिणामों में उनकी भतीजी सलोनी गर्ग का भी सीए में सलेक्शन हो गया, ऐसे में लगातार मिल रही खुशियों का श्रेय उन्होंने मानवीय सेवा को दिया।

वकीलों की साधारण सभा में हंगामा, महासचिव से हुई मारपीट

कोटा, (निसं)। अभिभाषक परिषद की साधारण सभा की बैठक परिषद के सभागार में आयोजित की गई, साधारण सभा की बैठक में थोड़ी देर में ही हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार वकील खेमों में बंट गये और एक खेमे ने वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर दिया और नये अध्यक्ष के रूप में हनीफ मोहम्मद खान को नया अध्यक्ष घोषित कर कोर्ट परिसर में माला पहनाकर स्वागत किया।

वहीं साधारण सभा में हुए हंगामे पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोजपुरी ने बताया कि बैठक में प्रमोद शर्मा एडवोकेट के विरुद्ध उनके कार्यकाल में किये गए वित्तीय घोटाले के सम्बन्ध में की गईं जांच की रिपोर्ट तथा रामबाबू मालव एडवोकेट के विरुद्ध जज के नाम पर पैसे लेने की शिकायत और पूर्व कार्यकाल में की गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पढ़ कर निर्णय किया जाना था, इस कारण इन लोगो ने कुछ लोगों को एकत्रित कर सभा प्रारम्भ होते ही महासचिव अजय श्रृंगी के साथ रामबाबू मालव, मोहन मालव, प्रमोद शर्मा, भारत सिंह अडसेला, कृपा शंकर श्रृंगी ने योजनाबद्ध तरीके से मारपीट की एवं रिपोर्ट की कॉपी छीन ली और बाद में सेक्रेटरी रूम के ताले तोड़कर वहां से महत्वपूर्ण कागजात ले गए। मनोज पुरी ने बताया कि मारपीट की रिपोर्ट नयापुरा थाने में दर्ज कराई है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि परिषद की कार्यकारिणी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे घोर अनुशासन हीनता मानते हुए जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अलग से रिपोर्ट दर्ज करवाने का निर्णय किया है और भारत सिंह अडसेला को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासन हीनता के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का निर्णय किया है रामबाबू मालव, प्रमोद शर्मा पूर्व से ही परिषद से निष्कासित है।

मनोज पुरी ने बताया की हंगामा होने के कारण साधारण सभा को स्थगित करने की घोषणा की गई। उसके बाद कुछ लोगो ने सविधान के विरुद्ध जाकर स्वयं ही एक सदस्य को अध्यक्ष घोषित कर दिया और मालाएं पहना कर फोटो खींच लिए इससे कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। बार काउंसिल में भी शिकायत भेजी जायेगी। वहीं मामले में कार्यकारी अध्यक्ष हनीफ मोहम्मद खान ने कहा कि परिषद के सभी सदस्यों ने साधारण सभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा किये जाने हेतु अध्यक्ष से कहा गया, किंतु अध्यक्ष मनोजपुरी एवं पदाधिकारियों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से इंकार कर दिया।

इसके बाद ही साधारण सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के विरोध पर आक्रोशित हुए एवं आमसभा की भावना से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि आम सभा ने सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जिस पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोजपुरी एवं महासचिव अजय श्रृंगी ने विरोध जताया और पदाधिकारियों के साथ आम सभा को छोड़कर चले गये।

भगवान झूलेलाल के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मार्च निकाला

कोटा, (निसं)। छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ के जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके पूज्य देवता भगवान झूलेलाल के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से कोटा सिंधी

■ सिंधी समाज ने अमित बघेल का पुतला जलाया

समाज में रोष व्याप्त है। समाजसेवी व सिंधु यूथ सर्किल के दीपक राजानी व भुवनेश बबलानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध स्वरूप मार्च निकाला गया।

दीपक राजानी ने बताया कि मार्च सब्जीमंडी से शुरू होकर साईमन प्लाजा तक पहुंचा और उसके बाद सब्जीमंडी चौराहे पर अमित बघेल का पुतला दहन किया गया। राजानी ने कहा कि सिंधी समाज के पूज्य देवता झूलेलाल के खिलाफ कि गई टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं है।

सरकार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले नेता को शीघ्र ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भुवनेश बबलानी ने कहा कि इस बयान के बाद देशभर के सिंधी समाज में गहरा आक्रोश है। यदि शीघ्र ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोटा में विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेंगे और लोग सड़कों पर आएंगे।

अमित बघेल अपने बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगे और उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष ओम अडवानी, संत कंवरराम धर्मशाला समिति अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी, प्रेम भाटिया, सिंधु यूथ सर्किल के दीपक थदानी, महिला शक्ति से दिव्या शर्मा, कमल खत्री, विजय झमटानी, पूर्व पार्षद, रमेश आहुजा, पंकज हरचंदानी, सुमित कटारिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/477 दिनांक:-3.11.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 158 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 269 दिनांक 19.10.2015 को श्री रामनिवास आर्य पुत्र श्री नाथूलाल के नाम आवंटन किया गया था। श्री रामनिवास आर्य पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री कमलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2025 को श्री अमित भट्ट पुत्र श्री बालकृष्ण भट्ट को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री अमित भट्ट पुत्र श्री बालकृष्ण भट्ट द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 158 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अमित भट्ट पुत्र श्री बालकृष्ण भट्ट के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/10634-35 दिनांक: 3.11.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है. कि श्रीमती सुशीला जैन पत्नी स्व. श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी भूखण्ड संख्या 410 महावीर नगर द्वितीय, योजना कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 410 महावीर नगर द्वितीय, योजना कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफुट एवं इस प्लाट से लगी हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 43.90 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 410 महावीर नगर द्वितीय, योजना कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आवंटन पत्रांक एफ (4608) आवंटन/न.वि.न्या/दिनांक 02.07.1976 को एवं लीज डीड क्रमांक 94 दिनांक 14.06.2022 से भू-पट्टी क्षेत्रफल 472.53 वर्गफुट श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री सुल्तान मल जैन को जारी किया गया है। श्री प्रकाश चन्द जैन द्वारा उक्त भूखण्ड की पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 27.05.2011 से अपने पुत्र श्री दर्पण जैन को इस शर्त पर आलेखित की गई है कि जब तक उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला जैन जिवित है तब तक वही उक्त भूखण्ड की मालिक रहेगी, मृत्यु पश्चात उक्त आवेदित भूखण्ड श्री दर्पण जैन का होगा। श्री प्रकाश चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 12.05.2025 को हो जाने के उपरान्त आवेदक श्रीमती सुशीला जैन द्वारा स्वयं के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 27.05.2011 के आधार पर नामांतरण चाहा गया उक्त भूखण्ड संख्या 410 महावीर नगर द्वितीय, योजना क्षेत्रफल 962 वर्गफुट एवं भूपट्टी क्षेत्रफल 472.53 वर्गफुट आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से सबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। वाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/475 दिनांक:-3.11.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 630 आनन्दपुरा आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 144 दिनांक 15.03.1990 को श्री गोविंद गुप्ता पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता के नाम आवंटन किया गया था। श्री गोविंद गुप्ता पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री ताराचंद सिंघल पुत्र श्री हरिवल्लभ द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2025 को श्री अशोक कुमार आशदिया पुत्र श्री कल्याण दास को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री अशोक कुमार आशदिया पुत्र श्री कल्याण दास द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 630 आनन्दपुरा आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अशोक कुमार आशदिया पुत्र श्री कल्याण दास के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/100977 **लोकसूचना** दि.22.08.2025

श्री VIRENDRA SINGH RATHORE पुत्र श्री RICHHPAL SINGH जाति RAJPOOT निवासी HOUSE NO-136, POLICE LINE BARAN ROAD, NEW GOPAL VIHAR KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कैथून, लाडपुरा (कोटा)	VIRENDRA SINGH RATHORE S/O RICHHPAL SINGH RATHORE CASTE RAJPOOT ,HOUSE NO-136, NEW GOPAL VIHAR KOTA KHATEDAR	1607	2300	0.23
2.	कैथून, लाडपुरा (कोटा)	VIRENDRA SINGH RATHORE S/O RICHHPAL SINGH RATHORE CASTE RAJPOOT ,HOUSE NO-136, NEW GOPAL VIHAR KOTA KHATEDAR	1608	3500	0.35
				कुल	0.58

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22/08/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1353 विज्ञप्ति दिनांक:-4.11.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब में स्थित कृषि भूमि योजना अश्वनी विहार भूखण्ड संख्या ए-17 खसरा नं॰ 132, 133 आवेदक/आवेदिका श्री नीरज कुमार मीणा पुत्र श्री स्व॰धनराज मीणा निवासी उदपुरिया दिगोद कोटा द्वारा पट्टे हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार श्रीमती जय माला गुप्ता पत्नि श्री जेपी गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 26.06.2007 को इन्साफ अली पुत्र श्री शाकिर अली को किया गया। क्रेता इन्साफ अली द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 31.03.2008 को सुमन जागीड पुत्र श्री देवा नन्द जांगीड के पक्ष में किया गया। क्रेता सुमन जागीड द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकारानामा दिनांक 05.08.2008 को धनराज मीणा पुत्र श्री रतन लाल के पक्ष में किया गया है। क्रेता धनराज मीणा की मृत्यु संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 22.07.2023 को हो चुकी है। संलग्न वारिसान प्रमाण पत्र अनुसार मृतक के विधिक वारिसान पत्नि रमेली बाई, पुत्र नीरज कुमार मीणा, पुत्री दीपिका मीणा है। वारिसान रमेली बाई, नीरज कुमार मीणा, दीपिका मीणा द्वारा संलग्न जर्ये इकारारनामा/मुख्तारआम दिनांक 04.2025 से उक्त भूखण्ड का बैचान अरविन्द मीणा पुत्र श्री शिवराज मीणा को किया गया है। क्रेता अरविन्द मीणा द्वारा उक्त भूखण्ड बैचान जर्ये इकारनामा दिनांक 04.2025 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री नीरज कुमार मीणा पुत्र श्री स्व. धनराज मीणा के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101057 **लोकसूचना** दि.04.11.2025

श्री SATYANARAYAN पुत्र श्री CHATURBHUJ जाति DHAKAD निवासी 53, TEHSIL ROAD, K. PATAN BUNDI श्री LOKESH पुत्र श्री CHATURBHUJ जाति DHAKAD निवासी WARD NO-8, KESHORAIPATAN, BUNDI ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	केशवरायपाटन, केशोरायपाटन (कोटा)	LOKESH PUTRA CHATURBHUJ JAATI DHAKAD	622/3	6500	0.65
2.	केशवरायपाटन, केशोरायपाटन (कोटा)	SATYANARAYAN PUTRA CHATURBHUJ	622/1	12200	1.22
				कुल	1.87

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04/11/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक : एफ 11/विक्रय/2025/496 दिनांक 27.10.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना आनन्दपुरा आवास संख्या 220-एएच का नाम हस्तांतरण क्रमांक 901-902 दिनाक 19.07.2010 को श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा के नाम हस्तांतरण किया गया था। श्री राधेश्याम शर्मा की मृत्यु दिनांक 06.09.2019 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र आईडी इत्यादि दस्तावेजो के आधार पर श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री गिरिश शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्री राहुल शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा एवं सुश्री कीर्ति शर्मा पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा उक्त आवास सख्या 220-एएच आनन्दपुरा अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है। अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो वि